5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

28

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

III/ निग0/ सिंगरौली/ भू-रा0/2017/3131

Rs.30/-

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

आदित्यधर पिता श्री ठाकुरधर द्विवेदी उम्र 58 साल पेशा खेती निवासी ग्राम फुलकेश, (खैरा) तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0

आवेदक आदित्यधर द्विवेदी द्वारा पेश 06-9-17

............आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

शंभूधर पिता श्री लक्ष्मणधर ब्राम्हण उम्र 70 साल निवासी ग्राम फुलकेश, (खैरा) तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0

............अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 28निगरानी/2003-2004 मे गोपालधर द्विवेदी बनाम शंभूधर द्विवेदी मे पारित आदेश दिनांक 29.8.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि , निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय बिधि,प्रकिया एवं साक्ष्यो के बिपरीत होने से आदेश दिनांक 29.8.017 निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार महोदय के न्यायालय मे सीमांकन के बावत आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिस मे गैर निगरानीकर्ता द्वारा जो सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था

आदित्यधर

आदिवासी द्विवेदी / शम्भुनाथ द्वि.
III / निग / 17 / 3131 - / निगरानी

(97) (18) Fo

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/9/17	आवेदक अभिभाषक द्विवेदी ... प्रस्तुत ... आदेशार्थ	
6/3/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 28/03—04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29—8—17 के विरुद्ध म0प्र0भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी की ग्राह्यता पर दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु दिये आवेदन पर तहसीलदार चितरंगी ने पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया है, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। उभय पक्ष को सुनकर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23—6—01 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष आवेदक ने निगरानी की थी। अपर कलेक्टर बैढ़न ने प्रकरण कमांक 134/01—02 निगरानी में पारित आदेश क्रमशः →	

शाक्षेमुम्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/3131

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 12–3–03 में विवेचित किया है कि तहसीलदार चितरंगी ने आदेश दिनांक 23–6–01 पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु आवेदक सीमांकन किन कारणों से गलत किया गया है प्रमाणित करने में असफल रहा है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 28/03–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। जब तीन अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती हों, तब निगरानी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि प्रभावित होना मानता है तब आवेदक स्वयं की भूमि का अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी में सुनवाई के पर्याप्त आधार न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	